

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा।

(समाज कल्याण)

दूरभाष संख्या :- 06526-295011 / फ़ैक्स संख्या :- 295011

email :- awc4.monitoring@gmail.com

184

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत जिला स्तरीय संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन :-

सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक-494/दिनांक-17.03.2020 एवं विभागीय संकल्प संख्या-650/दिनांक-07.03.2019 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत जिला स्तर पर जिला योजना समन्वयक एवं जिला योजना सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है जिसकी पदवार विवरणी निम्नवत् है:-

क्र0	पदनाम	पदों की संख्या	मासिक नियत वेतन	योग्यता/अनुभव	कार्यदायित्व
01	जिला योजना समन्वयक	01 (एक)	रू0 35000/-	शैक्षणिक योग्यता- स्नातकोत्तर (सामाजिक विज्ञान/जीवन विज्ञान/पोषण/औषध/स्वास्थ्य प्रबंधन/सामाजिक कार्य/ग्रामीण प्रबंधन को अधिमानता) अन्य योग्यताएँ - 1. सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थान में संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव। 2. MS-Office के प्रयोग में दक्षता। 3. अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दक्षता। उम्र सीमा - 35 वर्ष से अधिक नहीं।	भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में दिए गए मार्ग निर्देश के आलोक में दायित्व का निर्वहन के साथ-साथ उच्च अधिकारियों द्वारा विभागीय कार्यों का दायित्व।
02	जिला योजना सहायक	01 (एक)	रू0 20000/-	शैक्षणिक योग्यता- स्नातक (सामाजिक विज्ञान/सामाजिक कार्य/ग्रामीण प्रबंधन/सांख्यिकी को अधिमानता) अन्य योग्यताएँ - 1. सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थान में संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव। 2. MS-Office के प्रयोग में दक्षता, अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति। उम्र सीमा - 35 वर्ष से अधिक नहीं।	भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में दिए गए मार्ग निर्देश के आलोक में दायित्व का निर्वहन के साथ-साथ उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए विभागीय कार्यों का दायित्व।

उपर्युक्त वर्णित पदों पर नियुक्तियाँ भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों, एतद संबंधी निर्गत विभागीय संकल्पों/राज्यादेशों, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार तथा योजना-सह- वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों के आलोक में किया जायेगा।

उक्त सभी पद पूर्ण रूप से अस्थायी (अनुबंध पर) होंगे, अतएव इन पदों के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति का स्थायी का दावा भविष्य में अमान्य होगा एवं योजना की समाप्ति के साथ सभी पद समाप्त समझे जायेंगे। नियुक्ति से संबंधित पूर्ण विवरणी/आवेदन प्रपत्र के लिए जिले के वेबसाईट lohardaga.nic.in पर देखा जा सकता है। उक्त पदों हेतु अहर्ताधारी सुयोग्य आवेदक अपना आवेदन संपूर्ण विवरणी के साथ स्पीड पोस्ट/डाक के माध्यम से जिला समाज कल्याण कार्यालय, लोहरदगा को विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से दिनांक 03.03.2022 के अपराह्न 05:00 बजे तक भेज सकते हैं। अन्य माध्यमों से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
लोहरदगा।
10/08/2022

उप विकास आयुक्त,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, लोहरदगा।

(समाज कल्याण)

दूरभाष संख्या :- 06526-295011 / फैक्स संख्या :- 295011

email :- awc4.monitoring@gmail.com

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत जिला स्तरीय संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति संबंधी सूचना :-

सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड राँची के पत्रांक-494/दिनांक-17.03.2020 एवं विभागीय संकल्प संख्या-650/दिनांक-07.03.2019 के आलोक में केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनान्तर्गत जिला स्तर पर जिला योजना समन्वयक एवं जिला योजना सहायक के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पदों पर अर्हताधारी इच्छुक आवेदक अपना आवेदन संपूर्ण विवरणी के साथ स्पीड पोस्ट/डाक के माध्यम से जिला समाज कल्याण कार्यालय, लोहरदगा को समर्पित करेंगे। अन्य माध्यमों से आवेदन पर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2. संविदा आधारित नियुक्ति हेतु पदों की विवरणी :-

क्रमांक	पदनाम	आरक्षण कोटि	पदों की संख्या
01	जिला योजना समन्वयक	अनारक्षित	01
02	जिला योजना सहायक	अनारक्षित	01

3. कडिका- 02 में वर्णित पदों का मासिक नियत वेतन एवं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य योग्यताएँ --

क्र०	पदनाम	मासिक नियत वेतन	योग्यता/अनुभव	कार्यदायित्व
01	जिला योजना समन्वयक	₹ 35000/-	शैक्षणिक योग्यता- स्नातकोत्तर (सामाजिक विज्ञान/जीवन विज्ञान/पोषण/औषध/स्वास्थ्य प्रबंधन/ सामाजिक कार्य/ग्रामीण प्रबंधन को अधिमानता) अन्य योग्यताएँ - 1. सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थान में संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 02 वर्ष का अनुभव। 2. MS-Office के प्रयोग में दक्षता। 3. अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दक्षता। उम्र सीमा - 35 वर्ष से अधिक नहीं।	भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में दिए गए मार्ग निर्देश के आलोक में दायित्व का निर्वहन के साथ-साथ उच्च अधिकारियों द्वारा विभागीय कार्यों का दायित्व।
02	योजना सहायक	₹ 20000/-	शैक्षणिक योग्यता- स्नातक (सामाजिक विज्ञान/सामाजिक कार्य/ग्रामीण प्रबंधन/सांख्यिकी को अधिमानता) अन्य योग्यताएँ - 1. सरकारी/अर्द्धसरकारी/गैर सरकारी संस्थान में संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव। 2. MS-Office के प्रयोग में दक्षता, अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति। उम्र सीमा - 35 वर्ष से अधिक नहीं।	भारत सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में दिए गए मार्ग निर्देश के आलोक में दायित्व का निर्वहन के साथ-साथ उच्च अधिकारियों द्वारा सौंपे गए विभागीय कार्यों का दायित्व।

4. आयु सीमा- उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयु सीमा -

(क) आयु की गणना हेतु तिथि - 01.01.2022

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रावधानित नियमों के आलोक में आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा निम्नवत् होगी -

कोटि	न्यूनतम आयु (वर्ष में)	अधिकतम आयु (वर्ष में)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु
अनारक्षित	25	35 वर्ष	45 वर्ष
अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग		37 वर्ष	47 वर्ष
महिला (अनारक्षित/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग)		38 वर्ष	48 वर्ष
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)		40 वर्ष	50 वर्ष

5. सभी पद पूर्ण से अस्थाई (अनुबंध पर) होंगे। इन पदों के विरुद्ध नियुक्त व्यक्ति का स्थायीकरण का दावा अमान्य होगा एवं योजना की समाप्ति के साथ सभी पद स्वतः समाप्त समझे जायेंगे।

6. (क) संविदा पर नियुक्ति की शर्तें -

- संविदा एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगा। आवश्यकतानुसार अग्रोत्तर सेवा हेतु कार्यरत कर्मियों के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर अनुबंध अवधि का विस्तार किया जायेगा।
- उपर्युक्त पदों पर कार्यरत किसी भी कर्मियों का कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उक्त कर्मियों का अनुबंध किसी भी समय समाप्त किया जा सकेगा।
- संविदा आधारित उपर्युक्त पदों पर नियुक्त कर्मियों का किसी भी परिस्थिति में स्थाई नियोजन नहीं होगा। इन स्वीकृत पदों पर कर्मियों को नियत वेतन के विरुद्ध ही कार्य करने के लिए अनुबंधित किया जायेगा।
- जिला स्तरीय चयन समिति चयन से संबंधित शर्तों में संशोधन कर सकते हैं।
- संविदा पर नियुक्त कर्मियों को कैलेण्डर वर्ष के लिए राज्य कर्मियों के अनुसार आकस्मिक अवकाश देय होगा।
- झारखण्ड के अधिवासियों को नियुक्ति में अधिमानता दी जायेगी।

(ख) संविदा पर नियुक्ति की प्रक्रिया -

- संविदा आधारित उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति के नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का दावा अमान्य है।
- उपर्युक्त पदों के लिए संबंधित जिले के उपायुक्त, नियुक्ति प्राधिकार होंगे।
- चयनित अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन नियुक्ति के तीन माह के अन्दर प्रमाण- पत्र निर्गत करने वाली संस्थान से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अवधि के अन्दर चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन भी कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
- चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जायेगा। किसी भी तरह की त्रुटि पाई जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी।
- प्रारंभिक मेधा सूची एवं अंतिम मेधा सूची लोहरदगा जिला के वेबसाइट lohardaga.nic.in पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(ग) चयन का मापदण्ड -

- वैसे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे। जिन्होंने कडिका-3 में उल्लेखित संबंधित पदों के सभी शैक्षणिक योग्यता यथा- मैट्रिक, इन्टर, एवं स्नातक में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया हो।
- प्रारंभिक मेधा सूची तैयार करने निमित्त अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंक पत्र के आधार पर उन्हें निम्नवत् अंक प्रदान किये जायेंगे।

क्रम	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मापदण्ड का प्रतिशतता				
			मैट्रिक	इन्टर	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल प्रतिशतता
01	जिला योजना समन्वयक	स्नातकोत्तर	20	20	30	30	100
02	जिला योजना सहायक	स्नातक	30	30	40	-	100

उदाहरण - जिला योजना समन्वयक पद के अभ्यर्थी का प्रतिशतता निम्नानुसार ज्ञात की जायेगी :-

शैक्षणिक योग्यता	पूर्णांक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	मापदण्ड का प्रतिशत	प्राप्त प्रतिशतता
मैट्रिक	1000	650	6.5	20 %	13.00
इन्टर	1000	550	55.5	20 %	11.10
स्नातक	1000	585	58.5	30 %	17.55
स्नातकोत्तर	1000	610	61.0	30 %	18.30
कुल :-					59.95

उदाहरण - जिला योजना सहायक पद के अभ्यर्थी का प्रतिशतता निम्नानुसार ज्ञात की जायेगी :-

शैक्षणिक योग्यता	पूर्णांक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	मापदण्ड का प्रतिशत	प्राप्त प्रतिशतता
मैट्रिक	1000	650	6.5	30 %	19.50
इन्टर	1000	550	55.5	30 %	16.65
स्नातक	1000	585	58.5	40 %	23.40
कुल :-					59.95

उक्त आधार पर प्रत्येक पद के लिए पृथक प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी।

- iii. कंडिका- 3 में पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता में चिन्हित विषयों में स्नातक/स्नातकोत्तर होने पर उन्हीं आवेदकों को अधिमानता दी जायेगी।
- iv. इस पद की रिक्ति के अनुरूप पांच गुणा अभ्यर्थियों का चयन शीर्ष प्रारंभिक मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा।
- v. जिला स्तरीय योजना समन्वयक एवं सहायक के पद पर प्रारंभिक मेधा सूची के आधार पर पांच गुणा अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर Ms-Office के प्रयोग दक्षता एवं जिला योजना सहायक को हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईपिंग की दक्षता हेतु जाँच परीक्षा ली जायेगी जिसमें कम्प्यूटर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग के क्रमशः 25 एवं 35 शब्द प्रति मिनट शुद्धता सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- vi. कम्प्यूटर Ms-Office के प्रयोग की दक्षता तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग की दक्षता हेतु ली जानेवाली जांच परीक्षा में कोई अंक देय नहीं होगा। यह पूर्णतः Qualify प्रकृति के होंगे।
- vii. कम्प्यूटर पर Ms-Office एवं हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण शुद्धता सहित उत्तीर्णता के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।
- viii. इस पद हेतु तैयार की गई अंतिम मेधा सूची में प्रथम स्थान प्राप्त आवेदन को नियुक्त किया जायेगा एवं शेष आवेदन, प्रतीक्षा सूची में माने जायेंगे। इस प्रतीक्षा सूची की वैधता अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष होगी।
- ix. नियुक्ति उपरांत रिक्ति के स्थिति में प्रतीक्षा सूची के मेधा क्रम के अनुसार रिक्त पद को भरा जायेगा।

(घ) आवेदन की प्रक्रिया -

इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन जिले के वेबसाईट lohardaga.nic.in से आवेदन पत्र (विहित-प्रपत्र) डाउनलोड कर संपूर्ण विवरणी के साथ स्पीड पोस्ट/डाक के माध्यम से जिला समाज कल्याण कार्यालय, लोहरदगा को समर्पित करेंगे।

- a. मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- b. इन्टर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- c. स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।
- d. स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। (केवल जिला योजना समन्वयक के लिए)
- e. सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र।
- f. सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र। (आयु में छुट के लिए)
- g. अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र।
- h. MS- office के प्रयोग हेतु दक्षता प्रमाण पत्र।
- i. हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता प्रमाण-पत्र (केवल योजना सहायक के लिए।)

j. आवेदन पत्र के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों पर स्वभिप्रमाणित करेंगे।

k. लिफाफे में आवेदित पद का नाम अंकित करना होगा।

l. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लुप्त हो तो)

(ड) अन्यान्य

1. अस्थायियों द्वारा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 03.09.2022 है।

2. नियुक्ति संबंधी निर्गत सूचना को लोहरदगा जिला के वेबसाईट lohardaga.nic.in पर अथवा जिला समाज कल्याण कार्यालय, लोहरदगा के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

जिला समाज कल्याण पदाधिकारी,
लोहरदगा।
10/08/2022

उप विकास आयुक्त,
लोहरदगा।

उपायुक्त,
लोहरदगा।

186

आवेदन हेतु विहित प्रपत्र

185

1. पद का नाम
2. आवेदक का नाम
3. लिंग
4. पिता/ पति का नाम
5. माता का नाम
6. जन्म तिथि
7. दिनांक- 01.01.2022 को उम्र वर्ष माह..... दिन
8. पहचान चिन्ह
9. स्थायी पता
10. पत्राचार का पता
11. मोबाईल नं०- ई- मेल आईडी-
12. (क) शैक्षणिक योग्यता -

परीक्षा का नाम	उत्तीर्णता का वर्ष	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	कुल अंक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	प्रमाण पत्र (हां/नहीं)	अंक पत्र संलग्न (हां/नहीं)
मैट्रिक							
इन्टर							
स्नातक							
स्नातकोत्तर							

(ख) स्नातक का विषय स्नातकोत्तर का विषय

(ग) अन्य योग्यता :- i. अनुभव प्रमाण पत्र :- (संलग्न करें)

ii. कम्प्यूटर में दक्षता प्रमाण पत्र :- (संलग्न करें)

iii. अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दक्षता (स्थानीय भाषा का उल्लेख करें) :-

iv. हिन्दी/अंग्रेजी टंकण भाषा में दक्षता प्रमाण पत्र- (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

13. कोटि- (सामान्य/ पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति)
..... (पत्रांक दिनांक-) (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

14. स्थानीयता प्रमाण पत्र- हां/ नहीं (पत्रांक दिनांक- (संलग्न करें)
तिथि
स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा

मैं घोषणा करता/करता हूँ कि मेरे विरुद्ध कोई थाना काण्ड दर्ज नहीं है। मैं किसी फौजदारी मामला में दण्डित नहीं हूँ।
उपर्युक्त सभी सूचनाएं मेरी जानकारी में सही है, किसी भी स्तर पर सूचनाएं गलत पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकेगी।

आवेदक का हस्ताक्षर